



भारत सरकार, वित्त मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
DEPARTMENT OF REVENUE, CENTRAL BOARD OF EXCISE & CUSTOMS
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर के आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE, CUSTOMS & SERVICE TAX
एन-5, टाउन सेंटर, सिडको, औरंगाबाद-431003



N-5, TOWN CENTRE, CIDCO, AURANGABAD-431003
वेबसाइट/WEBSITE : <http://www.centralexciseaurangabad.gov.in>
ई-मेल/E-mail : cexauran@excise.nic.in
फोन/Phone : +91-240-2484975 फैक्स/Fax : +91-240-2483303/2476627

व्यापार सूचना सं. 08 /2016

(अ. क्र. 08/ST/2016 दिनांक 12.07.2016)

विषय:- Clarification regarding leviability of service tax in respect of services provided by arbitral tribunal and members of such tribunal – reg.

उपरोक्त विषय पर भारत सरकार, वित्त-मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड नई दिल्ली द्वारा दिनांक 18 मई 2016 की फा. सं. 356/1/2016-TRU के अंतर्गत जारी परिपत्र सं. 193/03/2016-Service Tax की प्रतिलिपि सूचना एवं कार्यवाही के लिए प्राप्त करें।

सभी संबंधित संगठनों से अनुरोध है की वे इस परिपत्र/पत्र की जानकारी अपने सभी सदस्य निर्माताओं तथा व्यापारियों को दें।

हस्ता./

(सी. एल. महर)

आयुक्त

फा. सं. VGN(30)43/ST/Trade Notice/2015-16

औरंगाबाद, दिनांक 12 जुलाई, 2016

Copy to:

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क, नागपुर।
2. उप/सहायक आयुक्त सभी मण्डल प्रभारी तथा आई.सी.डी.।
3. डाक-सूची के अनुसार।
4. सभी अनुभागाध्यक्ष (मुख्यालय)
5. आयुक्तालय के सूचना-पट (Notice Board) पर